

उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा।

- (ख) द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी।
- (iv) दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
- (v) मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।
- (ब) तृतीय चरण:- शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा- निम्नांकित शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा।
- (i) दौड़ -
सभी कोटि के पुरुषों के लिए- 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) की दौड़ के लिए समय सीमा- 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे।
सभी कोटि की महिलाओं के लिए- 1 (एक) किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा- 6 मिनट। अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी।
- (ii) उँची कूद-
सभी कोटि के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 4 (चार) फीट
4 (चार) फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 3 (तीन) फीट
3 (तीन) फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
- (iii) लंबी कूद -
सभी कोटि के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 12 (बारह) फीट
12 (बारह) फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 9 (नौ) फीट

9 (नौ) फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(iv) गोला फेंक -

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 16 पाउण्ड का गोला न्यूनतम
16 (सोलह) फीट फेंकना होगा।

16 (सोलह) फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

महिलाओं के लिए - 12 पाउण्ड का गोला न्यूनतम 10 (दस) फीट
फेंकना होगा।

10 (दस) फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

नियत समय (पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेण्ड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊँची कूद/लम्बी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा/स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा। मात्र ऊँची कूद/लम्बी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।

(v) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रान्सजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए- बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प ज्ञापांक-386, दिनांक-14.01.2021 की कण्डिका 5(III) के अनुसार “ट्रान्सजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के समरूप छूट प्राप्त होगी। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र उनके ट्रान्सजेन्डर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा।

6. मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा:-

(i) उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए *अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा-क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।* लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म-तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी